नियमावली

1. संस्था का नाम - सौनल प्रोफेशनल सोसायटी।
2. संस्था का पता - पुष्प विहार कालोनी, मसानी रोड, मथुरा (उ० प्र०)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र - समस्त उत्तर–प्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य - संलग्न स्मृति पत्र के अंकितानुसार होगें — -

1 संरक्षक सदस्य – जो सज्जन संस्था को 1001/-रूपये या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का संरक्षक सदस्य बन जायेगा।

2 आजीवन सदस्य – जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 1001/- रूपये सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का अजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

3 साधरण सदस्य – जो सज्जन इस संस्था को प्रति वर्ष 201/- रूपये देगा अथवा २०रु माषिक देगा वह सज्जन इस संस्था का साधरण सदस्य बनाया जायेगा।

4 विशिष्ट सदस्य – ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एंव संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हो व जो विद्वान होगें सरकार द्वारा सम्मानित एंव उपाधि प्राप्त सदस्यों जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनित करेगी एसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होगें उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान एंव चन्दा संस्था को स्वीकार होगा ऐसे सदस्यो को चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार न होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यों की संख्या 5 से अधिक न होगी।

5. सदस्यता की समाप्ति –

1 मृत्यु होने पागल या दिवालिया होने पर ।
2. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।
3. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण बताये अनुपस्थित होने पर।
4. किसी सदस्य के विरूद्व 2/3 बहुमत से अधिक मतों अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर ।
5. त्याग पत्र दिये जाने पर व उसे आम सभा के द्वारा पास होनेपर ।
6. न्यायालय द्वारा दंण्डित होने पर ।
7. संस्था के अहित में कार्य करने पर ।

6. संस्था के अंग - 1. साधारण सभा 2. प्रबन्धकारिणी समिती ।

7. साधारण सभा - अ. गठन– साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

..2 पर

[illegible]

राखी कु० मुकेश कुमार सोनल महावीर प्रसाद जगदीश प्रसाद शर्मा

7-9-05

बैठक —

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी।

सूचना अवधि-

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जावगी।

गणपूर्ति- गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत सदस्यों की उपस्थिति का कोलम होगा।

विशेष वार्षिक अधिवेशन- संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर होगा। जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से तय कर ली जायेगी।

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य -

1.प्रबन्धकारिणी समिति का समय—समय पर निर्वाचन सम्पन्न करवाना।

2.संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना।

3.संस्था का वार्षिक वजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करवाना।

8.प्रबन्धकारिणी समिति-

गठन- प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था के आम सभा के कम से कम 07 सदस्यों को चुनकर किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक/सचिव, उपप्रबन्धक,/उपसचिव कोषाध्यक्ष, तथा शेष कार्यकारिणी सदस्य होगें।सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई–बढ़ाई जा सकती है जो कम से कम 7 तथा अधिक से अधिक 15 होगी।

बैठक- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी।

सूचना अवधि- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी।

गणपूर्ति- गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3बहुमत से अधिक सदस्यों की उपस्थित का कोरम होगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति- प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्धकारिणी के 2/3 बहुमत से साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिये कर ली जावेगी।

9.प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य-

1.संस्था केउन्नति व विकास हेतु हर संभव प्रयास करना।

2.संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से से करना।

3.संस्था का वार्षिक वजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना।

4.संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों, एवं अन्य संस्थानों प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चन्दा एवं बैंक आदि से ऋण एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना

5-सारे अधिकार व कर्तव्य अध्यक्ष महोदय को होंगे।

सत्य प्रतिलिपि

...3पर

राखी कु० रेखा

मुकेश कुमार कु० सोनल

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ एवं चैरिटेबिल कार्यो की पूर्ति हेतु व्यय करना ।

ल. कार्यकाल – प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा ।

10.पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य -

1.अध्यक्ष –

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगो की अध्यक्षता करना ।
2. मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना ।
3. संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्योको करना व संस्था की आम देखभाल करना ।
4. संस्था की ओर से सभी कार्य अध्यक्ष की देख रेख में प्रबन्धक करेंगे।

2.उपाध्यक्ष –

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा लिखित रूप से सोंपे गये स्वीकृत कार्यो को करना , सामान्य व विषम परिस्थतियों में उनका सहयोग करना ।

३. प्रबन्दक/सचिव

१.संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना , मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुचाना मीटिंग कार्यवाही लिखना ।

२. संस्था के कार्यक्रमो की रूपरेखा तैयार करना व कार्यक्रमों का पूर्ण रूपसे व्यस्थित रूप से व्यवस्थित रूप से संचालन व प्रचार-प्रसार करना ।

३. संस्था की चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना दान, अनुदान तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त सम्पत्ति व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना । प्राप्त आय को संस्था कोष में जमा करना ।

४. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एंव समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना ।

५. संस्था के अन्तर्गत संचालित संस्थानों, चिकित्सालयों, विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों एंव कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति एंव पदच्युत करना तथा उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना, व उसका भुगतान करना ।

4-उपप्रबन्धक/उपसचिव

संस्था के प्रबन्धक/सचिव के कार्यो एंव सचिव की अनुपस्थिति मे उनके द्वारा लिखित रूप में सोंपे गये कार्यो को करना ।

5. कोषाध्यक्ष -

1. संस्था के आय व्यय विवरण को रखना ।
2. संस्था के प्रबन्धक द्वारा सोंपे गये कार्यो को करना ।

सत्य प्रतिलिपि

....4पर

रवी कु० रेखा

उप निबन्धक
फर्म्स तथा सोसाइटी
आगरा मंडल, आगरा

सुरेन्द्र कुमार कु० सोनल

महावीर प्रसाद

जगदीश प्रसाद शर्मा 7-1-05

11. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन प्रक्रिया – संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3बहुमत से करना ।

12. संस्था का कोष एवं लेखा व्यवस्था – संस्था का कोष किसी बैंक अथवा डाक में जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक/सचिव एंव कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जायेगा ।

13. संस्था का लेखा परीक्षण (आडिट) – संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य आडीटर अथवा चार्टड एकाउण्टेंट द्वारा किया जायेगा ।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के निस्तारण की उत्तरदायित्व – संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के निस्तारण की कार्यवाही प्रबन्धक अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी ।

15. संस्था के अभिलेख – 1-सदस्यता रजिस्टर 2-कार्यवाही रजिस्टर 3-एजैण्डा रजिस्टर 4-स्टाक रजिस्टर 5-कैश बुक आदि ।

16. संस्था के विघटन -यदि दुर्भाग्यवश संस्था विघटित होती है तो विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसा०रजि०अधि० की धारा 13व14 के अन्तर्गत की जावेगी ।

सत्य प्रतिलिपि

सत्यप्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

7-8-05

दिनांक. :– 13/4/05

साक्षी कु० रेखा

मुकेश कुमार · कु० सोनल

महावीर प्रसाद

जगदीश प्रसाद शर्मा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 42AA 143597

यह जनरल स्टाम्प पेपर सोशल एजूकेशनल सोसाइटी ग्राम तेहरा। हाथरस रोड सौंखई

जिला मथुरा फाइल नं० 39865

सोसाइटी नियमावली के साथ संलग्न है।

उप निबन्धक

चिट फण्ड फर्म्स तथा सोसाइटी

आगरा क्षेत्र, आगरा

4. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, एवं व्यवसाय दिये गये हैं । जिन्हें कि नियमानुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया हैं —

क्रम०सं०	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1-	कु0 सौनल सारस्वत पुत्री महावीर प्रसाद	गांव हिरनौर पो0 सिकन्दरा. अलीगढ	अध्यक्ष	गृह कार्य
2-	राखी सारस्वत पत्नी जगदीश प्रसाद	ग्राम सुर्खानगढ पो0 सुर्खानगढ मथुरा	उपाध्यक्ष	गृहकार्य
3-	जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र महावीर प्रसाद	ग्राम व पो0 [illegible] जिला मथुरा	प्रबन्धक	व्यापार
4-	पवन कुमार शर्मा पुत्र महावीर प्रसाद	821 नवीन नगर पी0ए0सी0 [illegible] मुरादाबाद	उप-प्रबन्धक	नौकरी
5-	मुकेश कुमार पुत्र महावीर प्रसाद	गांव हिरनौरी पो0 सिकन्दरा अलीगढ	कोषाध्यक्ष	"
6-	कु0 रेखा सारस्वत पुत्री महावीर प्रसाद	ग्राम हिरनौरी पो0 सिकन्दरा	सदस्य	गृह
7-	महावीर प्रसाद पुत्र बुद्ध सैन	ग्राम हिरनौरी अलीगढ	"	कृषि

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते है कि हम निम्न स्मृति पत्र व संलग्न नियमावली के अनुसार सोसा० रजि०एक्ट० 21 सन् 1860 के अन्तर्गत इस समिति का गठन किया है ।

दिनांक:- 13/4/05

राखी कु० रेखा

मुकेश कुमार कु० सोनल

महावीर प्रसाद